हिमाचल प्रदेश सरकार
गृह विभाग (एफ अनुभाग)

संख्याः गृह–बी(ए)3–7/2005 तारीख शिमला–2, 22-9-,2016

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक दल अधिनियम,1968 (1968 का अधिनियम सख्यांक 20)की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं,

अर्थात :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक दल कल्याण निधि नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें ।

परिभाषाएं । 2.(1) इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "बटालियन कल्याण समिति" से नियम 3 के अधीन गठित बटालियन स्तर पर समिति अभिप्रेत है;

(ख) "केन्द्रीय कल्याण समिति" से नियम 4 के अधीन गठित राज्य स्तर पर समिति अभिप्रेत है;

(ग) "कुटुम्ब" से विवाहित सदस्य की दशा में पति/पत्नी,सुपुत्र और सुपुत्री (सुपुत्रियां)और अविवाहित सदस्य की दशा में माता और पिता अभिप्रेत है;

(घ) "निधि" से, यथास्थिति, बटालियन कल्याण निधि या केन्द्रीय कल्याण निधि अभिप्रेत है;

(ङ) "सदस्य" से हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक दल संगठन का

स्वयंसेवक अभिप्रेत है जिसने निधि में अभिदान किया है; और

(च) "नामांकन" से सदस्य द्वारा इन नियमों के अधीन वित्तीय अनुतोष प्राप्त करने का हकदार बनाने हेतु अपने नामनिर्देशिती को नियुक्त करने के लिए प्रयुक्त विकल्प अभिप्रेत है।

(2) उन समस्त शब्दों और पदों के जो इसमे प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक दल अधिनियम, 1968 में क्रमशः उनके हैं।

बटालियन कल्याण समिति का गठन.–

3.(1) बटालियन स्तर पर निम्नलिखित से समाविष्ट एक बटालियन कल्याण समिति होगी –

(i) सम्बद्ध कार्यालय का प्रमुख ——–अध्यक्ष;

(ii) नियमित कंपनी कमाडंर या अधीक्षक ——–उपाध्यक्ष;

(iii) प्लाटून कमाण्डर (मुख्यालय) ——– महासचिव;

(iv) तीन गृह रक्षक दल स्वयंसेवक जिनमें से एक महिला प्रवर्ग से होगा ——– सदस्य; और

(v) ऐसे अन्य सदस्य जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं।

2. समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति, अध्यक्ष और महासचिव सहित समिति के चार सदस्यों से होगी।

केन्द्रीय कल्याण समिति का गठन ।

4. (1) राज्य स्तर पर निम्नलिखित से समाविष्ट एक केन्द्रीय कल्याण समिति होगी,–

(i) महा आदेशक गृह रक्षा ----- अध्यक्ष;

(ii) उप महाआदेशक गृह रक्षा ----- उपाध्यक्ष;

(iii) स्टाफ ऑफिसर (प्रशिक्षण) ----- महासचिव;

(iv) चार गृह रक्षक दल स्वंय सेवक जिनमें से एक महिला प्रवर्ग से होगा ----- सदस्य; और

(v) ऐसे अन्य सदस्य जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति, अध्यक्ष और महासचिव सहित केन्द्रीय कल्याण समिति के पांच सदस्यों से होगी ।

समिति की निधि ।

5(1) बटालियन कल्याण निधि में निम्नलिखित जमा किया जाएगा,–

(i) निधि के सदस्यों से प्राप्त अभिदान की 75% रकम;

(ii) जमा राशियों और निवेशों से प्रोद्भूत ब्याज; और

(iii) अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, अन्य स्त्रोतों से प्राप्त धन ।

(2) केन्द्रीय कल्याण समिति में निम्नलिखित जमा किया जाएगा,–

(i) सरकार से प्राप्त अनुदान या सहायता;

(ii) जमा राशियों और निवेशों से प्रोद्भूत ब्याज;

(iii) अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, अन्य स्त्रोतों से प्राप्त धन; और

(iv) बटालियन कल्याण समिति से प्राप्त अभिदान की 25% रकम ।

निधि के लक्ष्य और उददे्श्य ।

6. निधि का मुख्य उद्‌देश्य हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक दल के स्वयं सेवकों, जो निधि के सदस्य या उनके कुटुम्ब हैं, के कल्याण के लिए उपाय सुझाना और उन्हे अपनाना है। निधि, सामूहिक और वैयक्तिक कल्याण के लिए आशयित हितकारी निधि है तथा उस विस्तार तक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जितना इन

नियमों के अधीन उपबंधित है।

वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शर्तें ।

7. (1)किसी सदस्य या उसके कुटुम्ब को वित्तीय सहायता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जा सकेगी, अर्थातः–

(क) किसी सदस्य को बीमारी या क्षति सहित अकस्मात और अत्याधिक विपत्ति (कष्ट) की दशा में या उसकी मृत्यु की दशा में उसके कुटुम्ब को;

(ख) अकल्पित विपत्ति की दशा में केन्द्रीय कल्याण समिति के अनुमोदन से; और

(ग) किसी अन्य विपत्ति या उपरोक्त के अन्तर्गत न आने वाली संभाव्य घटना की दशा में जिसे केन्द्रीय कल्याण समिति द्वारा अपरिहार्य या उचित समझा हो ।

(2) बटालियन कल्याण समिति किसी सदस्य या उसके कुटुम्ब को निम्नलिखित मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगीः–

(क) किसी बीमारी या क्षति या आपदा सहित अकस्मात अकल्पित विकट विपत्ति, जो अध्यक्ष की राय में उस सहायता प्राप्त करने का पात्र बनाती है, की दशा में किसी, वित्तीय वर्ष में एक बार संचित रूप से 5,000/–रूपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन; और

(ख) किसी सदस्य के 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने की दशा में, जिसने निधि में अधिकतम 5,100/– रूपए के अध्यधीन, लगातार पांच वर्ष के लिए अभिदान किया है।

(3) केन्द्रीय कल्याण समिति किसी सदस्य या उसके कुटुम्ब को निम्नलिखित वितीय सहायता प्रदान कर सकेगी,–

(क) किसी बीमारी या क्षति या आपदा सहित अकस्मात अकल्पित विकट विपत्ति, जो अध्यक्ष की राय में उस सहायता प्राप्त करने का पात्र बनाती है, की दशा में किसी, वित्तीय वर्ष में एक बार संचित रूप से 10,000/–रूपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन; और

(ख) सदस्यों के सामूहिक कल्याण की दशा मे जो आवश्यक और उचित समझी जाए ।

सदस्यता.– 8. (1) हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक दल संगठन का कोई स्वयंसेवक निधि का सदस्य बन सकेगा, जो–

(क) बटालियन से सम्बद्ध है और किसी निश्चित समय पर वह नामावली में है;

(ख) संगठन की सक्रिय नामावली में है; और

(ग) एक बटालियन से किसी दूसरी बटालियन के लिए स्थानान्तरित किया गया है और जिसका निवेदन पूर्ववर्ती बटालियन की बटालियन कल्याण समिति के समक्ष सहायता के लिए लम्बित है और उस दशा में सदस्यता के लिए उसके आवेदन को उस बटालियन को विचार करने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा जिसके लिए उसे विचार करने के लिए अन्तरित किया गया है।

(2) निधि की सदस्यता स्वैच्छिक होगी और हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक दल के उन समस्त स्वयंसेवकों के लिए खुली होगी जो संगठन की सक्रिय नामावली में है।

निधि के लिए अभिदान । 9. (1) संगठन का सदस्य आगामी वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से पूर्व विप्रेषित किया जाने वाला 120/– रूपए वार्षिक की दर से अभिदान कर सकेगा ।

(2) पूर्ववर्ती वर्ष के लिए 31 मार्च के पश्चात् कोई अभिदान स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(3) अभिदान अप्रतिदेय होगा ।

(4) बटालियन कल्याण समिति द्वारा वर्ष में प्राप्त कुल अभिदाय से 25 % रकम प्रत्येक वर्ष के अप्रैल मास में नेशनल इलैक्ट्रॉनिक फण्ड या रीयल टाइम ग्रॉस सैटलमैन्ट के माध्यम से केन्द्रीय कल्याण समिति के खाते में जमा (प्रत्याचित)की जाएगी और अतिशेष 75% को, इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट कल्याण उपायों के रूप में, बैठक व्यय के लिए बटालियन कल्याण समिति के लेखे में प्रतिधारित किया जाएगाः परन्तु केन्द्रीय कल्याण समिति, जब भी आवश्यक समझे इस अनुपात को संशोधित कर सकेगी ।

अभिदाय । (10) अन्य स्त्रोंतो से स्वैच्छिक अभिदायों को,यथास्थिति, केन्द्रीय कल्याण समिति या बटालियन कल्याण समिति के अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से स्वीकार किया जा सकेगा ।

अनुदान के लिए पात्रता । 11. (1) यथास्थिति, निधि का कोई सदस्य या उसका कुटुम्ब इन नियमों अधीन विनिर्दिष्ट अनुदान या वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा ।

(2) निधि के सदस्यों की सूची को प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में अंतिम रूप दिया जाएगा और उसे प्रदर्शित किया जाएगा ।

वित्तीय अनुतोष प्रदान करना,– 12. निधि के प्रत्येक सदस्य का कुटुम्ब मृत्यु हो जाने पर यथा निम्न दर्शित, अधिकतम रकम तक के वित्तीय अनुतोष का हकदार होगाः–

(i) बटालियन कल्याण समिति के अनुमोदन के अध्यधीन 15,000/– रूपए;

(ii) निधि का प्रत्येक सदस्य, जिसे इन नियमों के अधीन प्रसुविधा प्रदान की जानी वांछित है, किसी भी समय नया नामांकन कर सकेगा या पहले से किए गए नामांकन को परिवर्तित कर सकेगा सदस्यों द्वारा किए गए नामांकन को उनकी चरित्र–पुस्तकों सहित अभिलेख में रखा जाएगा; और

(iii) अनुदान, मृतक सदस्य द्वारा नामांकित व्यक्ति को संवितरित किया जाएगा और मृतक सदस्य द्वारा किसी नामांकन के अभाव में, रकम विधिक वारिसों को समानुपात में संवितरित की जाएगी ।

लेखापाल का नामांकन । 13.(1) बटालियन कल्याण समिति का अध्यक्ष निधि के रोकड़ और खाता लेखा के अनुरक्षण के लिए अपने एक नियमित कर्मचारी को लेखापाल या खजांची के रूप में नामनिर्देशित करेगा और इस निमित्त संगृहीत समस्त अभिदान उसे सौंप दिए जाएगें ।

(2) बटालियन कल्याण समिति का अध्यक्ष, किसी एक सहकारी बैंक में एकल खाता खुलवाएगा और बैंक के कल्याण निधि खाता में अभिदान आदि जमा करेगा ।

(3) यथास्थिति, आदेशक या कार्यालय का प्रमुख रसीद बही मुद्रित करवाएगा जिस पर मशीनी नम्बर होंगें । अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से

प्रति हस्ताक्षरित रसीद को, यथास्थिति, कम्पनी के प्रशासनिक अधिकारी या प्लाटून प्रभारी के माध्यम से अभिदाता को लेखापाल द्वारा जारी किया जाएगा ।

(4) कम्पनी का प्रशासनिक अधिकारी या प्लाटून प्रभारी, कम्पनी या प्लाटून स्तर पर कल्याण निधि रोकड़ रजिस्टर भी करेगा ।

(5) संग्रहण का समुचित लेखा अधिकारी द्वारा लेखा रजिस्टर में रखा जाएगा और एक मास के भीतर संगृहीत रकम को उसके द्वारा आगामी बैठक को या उससे पूर्व अभिदाताओं की सूची सहित बटालियन मुख्यालय में निधि के रोकड़िया के पास जमा किया जाएगा तथा वह इसे लेखापाल से सत्यापित करवाएगा । वह निधि के लिए अभिहित रोकड़िया से उसकी रसीद अभिप्राप्त करेगा ।

(6) राज्य मुख्यालय में लेखों को निधि के नामनिर्दिष्ट लेखापाल रोकड़िया द्वारा स्टाफ अधिकारी (प्रशिक्षण) के पर्यवेक्षणाधीन रखा जाएगा ।

(7) अध्यक्ष द्वारा निधि के अनुरक्षण के लिए नामनिर्दिष्ट लेखापाल/रोकड़िया द्वारा रोकड़ बही को रखा जाएगा । रोकड़ बही में समस्त प्रविष्टियां,जब कभी प्रोद्भूत होती हों, की जाएंगी और उनकी रसीद जारी की जाएगी । प्रविष्टियां कमाण्डेंट द्वारा सत्यापित की जाएगी ।

(8) बटालियन के साथ–साथ राज्य मुख्यालय में निधि का अनुरक्षण करने वाले लेखापाल/रोकडिया को 100/रू0–मासिक भत्ता दिया जाएगा।

(9) रोकड़ बही को रखने (अनुरक्षण करने) लेखन सामग्री का क्रय करने और रसीदों का मुद्रण आदि करने मे अन्तर्वलित व्यय इस निधि से प्रभार्य होगा ।

बटालियन कल्याण समिति की शक्तियां और । कर्त्तव्य,–

14. बटालियन कल्याण समिति की शक्तियां और कर्त्तव्य निम्न प्रकार से होंगे:–

(i) बटालियन कल्याण समिति का मुख्यालय सम्बद्ध बटालियन के मुख्यालय में होगा;

(ii) इसकी बैठक बटालियन के मुख्यालय में कम से कम तीन मास मे एक बार होगी;

(iii) वित्तीय सहायता के लिए समस्त आवेदन, बटालियन कल्याण समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे । मामले या प्रस्ताव, जिन पर केन्द्रीय कल्याण समिति की मंजूरी अपेक्षित है, औचित्य की बाबत और मंजूरी के लिए सम्यक सस्तुतियों सहित समस्त औपचारिकताओं के अनुपालन के पश्चात् बटालियन कल्याण समिति द्वारा राज्य मुख्यालय को अग्रेषित किए जाएंगे; और

(iv) अध्यक्ष प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक बटालियन में रखी गई है पृथक् कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित करवाएगा ।

केन्द्रीय कल्याण समिति की शक्तियां और कर्त्तव्य ।

15. केन्द्रीय कल्याण समिति की शक्तियां और कर्त्तव्य निम्न प्रकार से होगें:

(i) केन्द्रीय कल्याण समिति का मुख्यालय महाआदेशक के मुख्यालय में होगा;

(ii) केन्द्रीय कल्याण समिति, समिति के अध्यक्ष द्वारा नियत की जाने वाली तारीख, समय और स्थान पर छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी;

(iii) महासचिव प्रत्येक बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करेगा और इसे बैठक प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व अग्रिम में केन्द्रीय कल्याण समिति के समस्त सदस्यों को परिचालित करेगा;

(iv) केन्द्रीय कल्याण समिति, बटालियन कल्याण समिति द्वारा इसे निर्दिष्ट आवेदनों और प्रस्तावो को ग्रहण करने के अतिरिक्त, निधि का प्रशासन करने के लिए समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी;

(v) केन्द्रीय कल्याण समिति अपनी बैठकों के साथ–साथ बटालियन कल्याण समिति की बैठकों का संचालन करने के लिए अनुदेशों की विस्वना कर सकेगी और उन्हें जारी कर सकेगी; और

(vi) केन्द्रीय कल्याण समिति का अध्यक्ष प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त पृथक् कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित करवाएगा ।

निधि की संपरीक्षा ।

16. स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक दल कल्याण निधि की संपरीक्षा संचालित करेगा ।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

17. (i) अधिसूचना संख्या होम– ii (बी)15–10/77–पार्ट–फाईल तारिख 22 अप्रैल,1983 द्वारा अधिसूचित दी हिमाचल प्रदेश होम गार्डज एण्ड सिविल डिफेंस वैल्फेयर फण्ड रूल्ज,1983 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,

प्रबोध सक्सैना
अतिरिक्त मुख्य सचिव(गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि तारीख शिमला–2, 22-9-2016

प्रतिलिपि सूचना एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू:–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–02
2. उप सचिव विधि (राजभाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार।
3. सचिव, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश ।
4. महा निदेशक(पुलिस) एंव महा आदेशक गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, हिमाचल प्रदेश शिमला–171001.
5. समस्त आदेशक, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश ।
6. महालेखाकार हिमाचल प्रदेश शिमला–171003
7. महालेखाकार(ए एण्ड ई) हिमाचल प्रदेश शिमला–3
8. वित विभाग (रैगुलेशन) हि0प्र0 को उनके डा0संख्या:53269043-Fin(c)-B(7)2/2004 दिंनाक 29–6–2015 के संदर्भ में ।
9. नियन्त्रक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश मुद्रणालय शिमला–171005 को हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु,
10. संरक्षक नस्ति ।

(देवेन्द्र सरस्वती)
संयुक्त सचिव(गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार

(Authoritative English text of this Department Notification No. Home B(A)3-7/2005 Dated ....as required under clause (3) of the article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Home Department –F - Section

No. Home –B(A) 3-7/2005 Dated, Shimla-171002 22-9- 2016.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 14 of the Himachal Pradesh Home Guards Act,1968(Act No.20 of 1968), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely :-

Short title and commencement. 1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Home Guards Welfare Fund Rules,2016.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh .

Definitions. 2. (1) In these rules unless the context otherwise requires, -

(a) 'Battalion Welfare Committee' means the Committee at Battalion level constituted under rule 3;

(b) 'Central Welfare Committee' means the Committee at State level constituted under rule 4;

(c) 'family' means in the case of married member, spouse, son(s) and daughter(s) and in the case of unmarried member, mother and father;

(d) 'Fund' means the Battalion Welfare Fund or the Central Welfare Fund, as the case may be;

(e) 'member' means a Volunteer of Himachal Pradesh Home Guards Organization who has made subscription to the fund; and

(f) 'nomination' means option exercised by the member to appoint his nominee being entitled to get the financial relief under these rules.

(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning respectively as assigned in the Himachal Pradesh Home Guards Act,1968.

Constitution of Battalion Welfare Committee.

3. (1) There shall be a Battalion Welfare Committee at Battalion level consisting of -

(i) Head of concerned office – President;

(ii) Regular Company Commander or Superintendent – Vice -President;

(iii) Platoon Commander(HQ) – General Secretary;

(iv) Three Home Guard Volunteers, out of whom one shall be from women category – Members; and

(v) Such other members, as may be nominated by the President.

(2) Four members of the Committee including President and General Secretary shall form quorum for meeting of the Committee.

Constitution of Central Welfare Committee.

4. (1) There shall be a Central Welfare Committee at the State level consisting of ---

(i) Commandant General, Home Guards – President;

(ii) Deputy Commandant General, Home Guards – Vice- President;

(iii) Staff Officer(Training) – General Secretary;

(iv) Four Home Guard Volunteers, out of whom one shall be from women category – Members; and

(v) such other members, as may be nominated by the President.

(2) Five members of the Central Welfare Committee including President and General Secretary shall form quorum for meeting of the Committee.

Fund of the Committee. 5. (1) The Battalion Welfare Fund shall be credited –

(i) 75 % amount of subscription received from members of the fund;

(ii) interest accrued from the deposits and investments; and

(iii) money received from other sources, with the prior approval of the President.

(2) The Central Welfare Fund shall be credited –

(i) the grants or assistance received from the Government;

(ii) interest accrued from the deposits and investments;

(iii) money received from other sources with the prior approval of the President; and

(iv) 25% amount of subscription received from the Battalion Welfare Committee.

Aim and Objects of the Fund. 6. The principal object of the fund is to introduce and adopt measures for the Welfare of Volunteers of Himachal Pradesh Home Guards who are members of the Fund and their families. The fund is a benevolent fund intended for the collective and individual welfare and to render financial assistance to the extent as provided for, under these rules.

Conditions for grant of financial assistance. 7. (1) Financial assistance may be provided to a member or his family in the following conditions, namely:-

(a) in case of sudden and acute distress including ailment or injury to any member or in case of his death, to his family;

(b) in case of unforeseen distress with the approval of the Central Welfare Committee; and

(c) in case of any other distress or eventuality not covered above, which is considered necessary and justified by the Central Welfare Committee.

(2) Battalion Welfare Committee may provide financial assistance to a member or his family in the following cases:-

(a) in case of funeral of any deceased member subject to a maximum of Rs.5,000/-; and

(b) in case of any member attaining the age of 58 years who subscribes to the fund continuously for five years subject to a maximum of Rs.5,100/-.

(3) the Central Welfare Committee may provide financial assistance to a member or his family in the following cases :-

(a) in case of any sudden unforeseen acute distress including ailment or injury or calamity as the same in the opinion of the President merits assistance, subject to a maximum limit of Rs.10,000/- cumulatively once in a financial year; and

(b) in case of collective welfare of members which is deemed necessary and justified.

Membership. **8.** (1) Any volunteer of the Himachal Pradesh Home Guards Organization may become member of the fund ,who ---

(a) is attached to the Battalion and is on roll at a given point of time;

(b) is on active roll of the Organization; and

(c) is transferred from one Battalion to another Battalion and whose request for assistance is pending before the Battalion Welfare Committee of previous Battalion, in that case his application for membership shall be referred for consideration to the Battalion to which he has been transferred.

(2) Membership of the Fund shall be voluntary and will be open to all volunteers of the Himachal Pradesh Home Guards, who are on active roll of Organization.

Subscription to the Fund. **9.** (1) The member of the organization may subscribe annually @ Rs. 120/- to be remitted before 31st March every years as subscription towards the next year.

(2) No subscription shall be accepted after 31st March for the preceding year.

(3) The subscription shall be non- refundable.

(4) Out of the total contribution received by the Battalion Welfare Committee in a year, 25% amount shall be credited to the account of the Central Welfare Committee through the National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement in the month of April every year and remaining i.e. 75% shall be retained in the account of Battalion Welfare Committee for meeting expenditure as Welfare measures, as specified under these rules: Provided that the Central Welfare Committee may revise this ratio as and when considers necessary.

Contribution. **10.** Voluntary contributions from other sources may be accepted with the prior approval of the President of Central Welfare Committee or Battalion Welfare Committee, as the case may be.

Eligibility for the grant. **11.** (1) A member of the fund or his family, as the case may be, shall be eligible for grant or financial assistance specified under these rules.

(2) The list of members of the Fund shall be finalized and displayed in the first week of April every year.

Grant of financial relief. **12.** The family of every member of the Fund on death shall be entitled to financial relief upto a maximum amount as indicated below:-

(i) Rs. 15,000/- subject to approval of Battalion Welfare Committee;

(ii) each member of the Fund may make a fresh nomination or change a nomination already made at any time to whom the benefit under these rules is desired to be given. The nomination made by members shall be placed on record with their Character Rolls; and

(iii) the grant shall be disbursed to the person nominated by the deceased member and in the absence of any nomination by the deceased member the amount shall be disbursed in equal proportion amongst the legal heirs.

Nomination of accountant. 13. (1) The President, Battalion Welfare Committee shall nominate one of its regular employee as Accountant or Cashier for maintaining the cash and ledger account of the fund and all subscription collected in this behalf shall be handed over to him.

(2) The President of Battalion Welfare Committee shall open a single account in one of the Co-operative Bank and shall deposit subscription etc. in the welfare fund account of the Bank.

(3) The Commandant or Head of Office, as the case may be, shall get the receipt book printed which shall be machine numbered. A receipt duly countersigned by the President shall be issued by the Accountant to the subscriber through Companies Administrative Officer or Incharge of Platoon , as the case may be.

(4) The Company Administrative Officer or Incharge of Platoon, shall also maintain a Welfare Fund Cash register at Company or Platoon level.

(5) A proper account of collection shall be made by the collecting officer in register and amount collected within a month shall be deposited by him on or before the next monthly meeting with the cashier of the fund at Battalion Headquarter alongwith a list of subscribers, and he shall get it verified by the Accountant. He shall obtain receipt of the same from the cashier designated for the Fund.

(6) In the State Headquarters, accounts shall be maintained by the nominated Accountant/Cashier of the Fund under the supervision of Staff Officer (Training).

(7) A cash book shall be maintained by the Accountant/ Cashier nominated to maintain the Fund by the President. All entries shall be made in the Cash Book as and when it occurs and a receipt shall be issued. The entries shall be verified by the Commandant.

(8) A monthly allowance of Rs. 100/- shall be given to the Accountant/ Cashier maintaining the Fund in the Battalion as well as in State Headquarters.

(9) The expenditure involved in maintaining the Cash Book, purchasing of stationery and printing of receipts etc. shall be chargeable to this Fund.

The powers and duties of the Battalion Welfare Committee.

14. The powers and duties of the Battalion Welfare Committee shall be as under:-

(i) the Headquarter of the Battalion Welfare Committee shall be at the Headquarter of the Battalion concerned;

(ii) it shall meet at least once in three months at the Battalion Headquarter;

(iii) all applications for financial assistance shall be submitted to the President of the Battalion Welfare Committee. The cases or proposals which require the sanction of the Central Welfare Committee shall be forwarded to State Headquarter by Battalion Welfare Committee after observing all codal formalities with respect to the justification and due recommendations for sanction; and

(iv) the President shall cause the minutes of each meeting to be recorded in a separate Minute Book maintained in each Battalion for this purpose.

The powers and duties of the Central Welfare Committee.

15. The powers and duties of the Central Welfare Committee shall be as under:-

(i) the Headquarter of the Central Welfare Committee shall be at the Headquarter of the Commandant General;

(ii) the Central Welfare Committee shall meet at least once in six months on date, time and place to be fixed by the President of the Committee;

(iii) the General Secretary shall prepare agenda for each meeting and shall circulate it to all the members of the Central Welfare Committee well in advance before the commencement of the meeting ;

(iv) the Central Welfare Committee shall exercise all powers for the administration of the Fund in addition to taking up applications and proposals referred to it by the Battalion Welfare Committee;

(v) the Central Welfare Committee may frame and issue instructions for conducting its meetings,as well as, those of Battalion Welfare Committee; and

(vi) the President of the Central Welfare Committee shall cause the minutes of each meeting to be recorded in a separate Minute Book.

Audit of Fund. **16.** The Local Audit Department, Himachal Pradesh shall conduct the audit of the Home Guards Welfare Fund.

Repeal and savings. **17.** (1) The Himachal Pradesh Home Guards and Civil Defence Welfare Fund Rules,1983 notified vide Notification No.Home-ii(B)15-10/77.Pt. File dated 22nd April,1983 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By Order

Prabodh Saxena
Principal Secretary(Home) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. Home B(A)3-7/2005 Dated Shimla-2 the २२-९- 2016.

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-171002.
2. DLR-cum- Deputy Secretary Law(Legn) to the Govt. of H.P. Shimla-171002.
3. The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh.
4. The Director General(P)-cum- Commandant General, Home Guards, Himachal Pradesh, Shimla-171001.
5. All the Commandants in Home Guards Department, Himachal Pradesh.
6. The Accountant General, Himachal Pradesh, Shimla-171003.
7. The Accountant General(A&E) Himachal Pradesh, Shimla-171003.
8. The Finance Department (Regulation) H.P. Shimla-171002. This issue with their concurrence obtained vide their Dy. No. 53269043- Fin(C)–B(7)-2/2004 dated 29-6-2015.
9. The Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh, Shimla-171005 for immediate publication in Rajpatra.
10. Guard File.

(Devinder Saraswati)
Joint Secretary(Home) to the
Government of Himachal Pradesh.
P.No.0177-2626450(OFF.)